


फरद अहकाम

(नियम 26)

अज्ञ अदालत SDO मुकाम बडीसादडी
डॉ. राजेश कुमार वनाम डॉ. सुशीला
 किसम मुकदमा उड प्र. अ. व. नं. 76/18 मन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/5/18	<p>राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपक द्वार 2018 क तहत कैम्प कोर्ट <u>चैतपुरा</u> पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा <u>53</u> आर. टी. एक्ट क तहत पेश किया कि <u>बि. वि. शंकराणी वरुण / सपलाह. सुशीला के लक्ष्य डॉ. कंकु मर्ह. पत्नी जारि रजिस्ट्रार के पास प्रेषित किया गया</u></p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।</p> <p>अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा <u>चैतपुरियां डॉ. शंकराणी वरुण के पास</u></p> <p style="text-align: center;"> <u>पृष्ठ 2 0.36 2-52</u> <u>② सुशीला के लक्ष्य रजिस्ट्रार</u> <u>पृष्ठ 1 0.36 2-52</u> <u>③ कंकु मर्ह. पत्नी के पास चैतपुरियां</u> <u>पृष्ठ 2 0.36 2-52</u> </p> <p>इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बडीसादडी को लिखा जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	


 (जि. के. प्र. ड. कुमार पाण्डे)
 RAS
 पीठालीन अधिकारी, लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन न्याय सल्लाहकार
 बडीसादडी (राज.)

